भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3489

सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक)

आम आदमी बीमा योजना

3489. श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री संजय दिना पाटीलः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) कार्यान्वित की जा रही है और यदि हाँ, तो विगत पाँच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में उक्त योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और जनजातीय लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) महाराष्ट्र के आकांक्षी जिलों, जैसे गढ़चिरौली, नंदुरबार, उस्मानाबाद, वाशिम और अन्य जिले में उक्त योजना के अंतर्गत शामिल एससी/एसटी और जनजातीय लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त जिलों में एससी/एसटी और जनजातीय आबादी तक उक्त योजना के पहुँचने में कार्यान्वयन संबंधी किसी चुनौती की पहचान की है और पहचान, प्रलेखीकरण या जागरूकता की कमी से संबंधित मुद्दे का ब्यौरा क्या है;

(घ) एससी/एसटी और जनजातीय लाभार्थियों, विशेषकर दूरदराज या वन क्षेत्रों में, एएबीवाई के बारे में जागरूकता, नामांकन और इसकी पहुँच में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या महाराष्ट्र में एएबीवाई के अंतर्गत वंचित समुदायों को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा कोई विशिष्ट लक्ष्य या आउटरीच कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) को 47 चिह्नित कार्यों / व्यवसायों में गरीबी रेखा से नीचे या थोड़ा ऊपर जीवन यापन करने वाले 18 से 59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को जीवन और निःशक्तता कवर प्रदान करने के लिए 2007 में शुरू किया गया था। एएबीवाई को दिनांक 01.06.2017 से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के साथ समामेलित कर दिया गया है।पीएमजेजेबीवाई के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु के बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का लाभ और पीएमएसबीवाई के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु के बीमित व्यक्ति को 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा स्थायी निःशक्तता के मामले में 2 लाख रूपये और दुर्घटना के कारण आंशिक निःशक्तता के लिए 1 लाख रूपये प्रदान किया जाता है। व्यक्ति द्वारा कुल प्रीमियम ₹456/- (₹436/- + ₹20/-) वहन किया जाना है। दिनांक 02.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत संचयी पंजीकरण क्रमशः लगभग 24.05 करोड़ और 51.85 करोड़ हैं और महाराष्ट्र राज्य के लिए यह संख्या क्रमशः लगभग 1.72 करोड़ और 3.85 करोड़ है। चूँकि एएबीवाई को दिनांक 01.06.2017 से पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई योजनाओं के साथ पहले ही एकीकृत कर दिया गया है, अतः सरकार द्वारा एएबीवाई के अंतर्गत आगे किसी धनराशि का आवंटन नहीं किया जा रहा है।

****